छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19
नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छ.ग.) 492002
ई–मेल– hocecb@gmail.com

क्रमांक 3262/तक./छ.ग.प.सं.मं./2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/7/2020

--::कार्यालय आदेश::--

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् उद्योगों/संस्थाओं को स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति जारी की जाती है। साथ ही उद्योगों/संस्थाओं को जारी संचालन सम्मति का सशर्त नवीनीकरण किया जाता है।

2/ मंडल के आदेश कमांक 1060/मुख्यालय/तक./छ.ग.प.सं.मं./2017 नया रायपुर, दिनांक 12/06/2017 के द्वारा उद्योगों/संस्थाओं द्वारा स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के आंशिक रूप से पालन अथवा शेष शर्तों के पालन करने हेतु समय मांग किये जाने की दशा में शर्तों के पालन हेतु बैंक गारंटी सहित प्रतिबद्धता प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई थी। पुनः मंडल के आदेश कमांक 5937/मुख्यालय/तक./छ.ग.प.सं.मं./2018 नया रायपुर, दिनांक 29/01/2018 के द्वारा संचालन सम्मति एवं पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण में अधिरोपित शर्तों का आंशिक रूप से पालन की स्थिति में शेष शर्तों के पालन करने हेतु समय की मांग करने वाले उद्योगों/संस्थाओं को किये गये कुल विनियोग के 0.25 प्रतिशत की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है।

3/ उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत उद्योगों/संस्थाओं द्वारा सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में अधिरोपित शर्तों का आंशिक रूप से पालन की स्थिति में उन शर्तों के पालन हेतु समय की मांग करते हुये निर्धारित अवधि में पूर्ण करने बाबत् प्रतिबद्धता सहित कुल विनियोग के 0.25 प्रतिशत की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर समय देते हुये संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण किया जा रहा है।

4/ प्रायः ऐसा पाया गया है कि उद्योगों द्वारा मुख्य रूप से निम्न शर्तों के पालन की स्थिति आंशिक पूर्ण अथवा अपूर्ण होती है :–

1. सभी आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण करना।
2. परिसर के अंदर निर्धारित क्षेत्रफल में वृक्षारोपण विकसित करना।
3. भू–जल के उपयोग की अनुमति हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से अनुमति प्राप्त करना।
4. गारलेण्ड ड्रेन/रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना।
5. घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टेंक एवं सोकपिट के स्थान पर उपयुक्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना।
6. पावर प्लांट में परिसर के भीतर निर्धारित क्षमता का फ्लाई ऐश ब्रिक/ब्लॉक/प्रोडक्ट्स मेन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना।

5/ उद्योग में किये गये कुल विनियोग के आधार पर 0.25 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाती है। मध्यम एवं वृहद श्रेणी के उद्योगों विशेषकर पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, स्पंज आयरन प्लांट आदि हेतु कई बार यह राशि उपरोक्त कार्यों में होने वाले वास्तविक व्यय से काफी अधिक भी हो जाती है। फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (फिक्की) द्वारा अपने पत्र दिनांक 17/10/2019 के द्वारा तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि नान कंप्लायंस का पालन करने में होने वाला वास्तविक व्यय के आधार पर बैंक गारंटी नहीं लिया जाकर कुल विनियोग के 0.25 प्रतिशत की राशि की बैंक गारंटी लिया जाना उचित नहीं है। कई कार्यों के निर्माण चलते रहते हैं तथा समय के साथ यह पूर्ण हो जाता है। फिक्की द्वारा यह भी बताया गया है कि वर्तमान में उद्योग बैंक गारंटी के अतिरिक्त व्यय को वहन करने हेतु सक्षम नहीं हैं। इसी प्रकार पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा अपने पत्र दिनांक 21/10/2019 द्वारा भी उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

6/ उद्योगों/संस्थानों द्वारा विभिन्न कारणों से बैंक गारंटी जमा करने में असमर्थ होने पर ऐसे उद्योगों/संस्थाओं द्वारा मंडल को संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण आवेदन के साथ बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है तथा मंडल द्वारा संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण जारी किया जाना संभव नहीं होता है। वैध सम्मति के बिना उद्योग संचालन की दशा में इसे बंद करने की स्थिति निर्मित होती है।

7/ उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बैंक गारंटी की राशि को युक्तियुक्त किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की 47 वीं बैठक दिनांक 02/07/2020 में संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण आवेदन के साथ बैंक गारंटी की राशि में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

8/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में पूर्व में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने हेतु जारी आदेश दिनांक 12/06/2017 एवं 29/01/2018 में तदाशय बाबत् निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

कमांक	**कुल विनियोग (रूपये)**	**बैंक गारंटी की राशि**
1.	100 करोड़ तक	कुल विनियोग का 0.25 प्रतिशत
2.	100 करोड़ से अधिक किन्तु 200 करोड़ से कम	कुल विनियोग का 0.20 प्रतिशत
3.	200 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ से कम	कुल विनियोग का 0.15 प्रतिशत
4.	500 करोड़ से अधिक किन्तु 1000 करोड़ से कम	कुल विनियोग का 0.12 प्रतिशत
5.	1000 करोड़ से अधिक	कुल विनियोग का 0.10 प्रतिशत

9/ पैरा चार में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों यथा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के सुधार/उन्नयन कार्यों आदि हेतु पूर्वानुसार कुल विनियोग के आधार पर 0.25 प्रतिशत की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत की जावेगी। साथ ही आर्थिक रूप से अक्षम (सिक यूनिट) उद्योगों/संस्थाओं को तद्‌ाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपरोक्त उल्लेखित बैंक गारंटी जमा करने की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 3263 /तक./छ.ग.प.सं.मं./2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/7/2020

प्रतिलिपि :–

1. सर्व संबंधित अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर/भिलाई–दुर्ग/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/अंबिकापुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. नोटिस बोर्ड।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)